(ग) चयन बोर्डों द्वारा अब तक किन-किन स्थानों में वितरकों का अंतिम रूप से चयन कर लिया गया है तथा बाकी वितरकों का अंतिम रूप से कब तक चयन किया जाना संभावित है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार):** (क) और (ग) विद्यमान नीति के अनुसार विभिन्न सामाजिक लक्ष्य श्रेणियों के लिए आरक्षण निम्नवत उपलब्ध कराया जाता है:

| | |
|---|---|
| अनुसुचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ०जा०/अ०ज०जा०) | - 25 प्रतिशत |
| शारीकि रूप से विकलांग लोग (शा०वि०) | - 5 प्रतिशत |
| अर्द्धसैनिक/पुलिस/सरकारी कर्मचारी (अ०सै०पु०स०क०) | - 8 प्रतिशत |
| रक्षा कर्मी (र०क०) | - 8 प्रतिशत |
| स्वतंत्रता सेनानी (स्व०से०) | - 2 प्रतिशत |
| असाधारण खिलाड़ी (अ०खि०) | - 2 प्रतिशत |
| सामान्य श्रेणी (सा०श्रे०) | - 50 प्रतिशत |

तदनुसार, तेल कंपनियों ने कुछ समय पहले बिहार में विभिन्न श्रेणियों के लिए 237 खुदरा बिक्री केन्द्रों 192 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों तथा 45 एस के ओ/एल डी ओ डीलरशिपों के लिए विज्ञापन दिए हैं। बिहार के लिए डीलर चयन बोर्डों द्वारा 21 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों तथा 26 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के चयन को अंतिम रूप दे दिया गया है। डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन एक अनवरत प्रक्रिया है और यह एक चरणबद्ध तरीके से की जाती है। इसमें आवेदन पत्रों की छंटनी, डीलर चयन बोर्ड द्वारा योग्य उम्मीदवारों का साक्षात्कार, योग्यता पैनल को अंतिम रूप देना, योग्यता पैनल में क्रम सं० 1 पर रखे गए उम्मीदवारों के लिए आशय पत्र जारी करने जैसी विभिन्न चरण सम्मिलित है। डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को आरंभ करने के लिए साक्षात्कार की तारीख से सामान्यतया लगभग 6 से 12 माह तक का समय लगता है।

(ख) बिहार में लंबित स्थानों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए पहले बिहार के लिए गठित एक डीलर चयन बोर्ड के प्रति इस राज्य के लिए अब 7 डीलर चयन बोर्ड गठित किए गए हैं।

### संवितरकों के चयन का मापदंड

2743. **श्री रामदेव भंडारी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों, पेट्रोल एवं रसोई गैस के संवितरकों के चयन का कोई मापदंड है;

(ख) क्या चयन बोर्ड चयन करते समय इन्हीं मानदंडों का अनुसरण करते हैं, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उन मामलों में कोई कार्रवाई करती है जिनमें चयन बोर्ड इस प्रयोजनार्थ निर्धारित मानदंडों को नजरअंदाज करके चयन करता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा किस प्रकार की कार्रवाई की गई है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार):** (क) पेट्रोलियम उत्पादों के डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन निम्नांकित मानदंड को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीयता, आयु, शैक्षिक योग्यता, आवास, आयु, बहु डीलरशिप मानकों, इत्यादि से संबंधित अपेक्षायें पूरी कर रहे योग्य उम्मीदवारों में से गुण-दोष आधार पर किया जाता है:

(1) व्यक्तित्व कार्यव्यापार सामर्थ्य बिक्रयकला

(2) वित्त व्यवस्था करने की सामर्थ्य

(3) शैक्षिक योग्यता तथा वृद्धि का सामान्य स्तर

(4) आधारभूत सुविधायें एवं सुविधा उपलब्ध कराने की क्षमता

(5) सामान्य मूल्यांकन

(ख) और (घ) डीलर चयन बोर्डों को चयन करते समय उपर्युक्त मानदंड का अनुसरण करने का निर्देश किया गया है। जब कभी शिकायतों अथवा अन्यथा इस विषय में कोई अतिक्रमण सरकार की जानकारी में आता है तो उस स्थिति में गलती कर रहे डीलर चयन बोर्डों उपयुक्त कार्रवाई की जाती है जिसमें संबंधित डीलर चयन बोर्ड का निलंबन/समापन अथवा डीलरशिप इत्यादि देने विषयक कार्रवाई पर स्थगन सम्मिलित है।

### Reserve of Crude and Natural Gas in NER

2744. DR. ARUN KUMAR SARMA: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) the estimated reserve of crude and natural gas in the NER locationwise, target fixed for exploration and projected time for drying up if refineries in Assam put on full capacity; and

(b) the achievements made, target fixed and reasons for delay in execution